# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

राजस्व विभिन्न पत्र संख्या : 71 / 2023

प्रार्थी अप्रार्थी

फिरोज खॉ बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

किस्म मुकदमा– राजस्व विभिन्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम

| *तारीख हुक्म* | *हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज* | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22/4/2024 | प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा ,136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र ग्राम पीपरली तहसील लूणी के खसरा नम्बर 312 रकबा 9.8338 हैक्टर मे प्रार्थी का उक्त खसरान की कृषि भूमियो मे फकीर खॉ पुत्र मुसे खॉ के स्थान पर फिरोज खॉ पुत्र मूसा खॉ नाम दर्ज किया जाने हेतु निवेदन किया गया।<br>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को समन जारी किये गया तथा तहसीलदार लूणी से जबाव वास्ते तहरीर जारी की गई।<br>तहसीलदार लूणी के पत्र कमाक / राजस्व / 2024 / 03 दिनाक 2.01.2024 के द्वारा प्रकरण मे जबाव प्राप्त हुआ। जिसमे बताया गया कि ग्राम पीपरली के जमाबन्दी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 10 खसरा नम्बर 312 मे फकीर खॉ पुत्र मूसेखॉ जाति छीपा सह–खातेदार के रूप मे दर्ज है,प्रार्थी का नाम खातेदारी भूमि / राजस्व रेकर्ड मे ग्राम पीपरली के नामान्तरकरण संख्या 871 जमाबन्दी संवत 2067–2070 के खाता संख्या 8 मे इन्दाज है प्रार्थी के आधार कार्ड पेन कार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र व बैक डायरी मे प्रार्थी का नाम फिरोज खॉ नाम दर्ज है जबकि फिरोज खॉ व फकीर खॉ एक ही व्यक्ति है एव नाम शुद्व किये जाने की अनुशषा तहसीलदार लूणी द्वारा की गई।<br>अतः– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व, अधिनियम को प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि तथा तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम पीपरली के खसरा नम्बर 312 मे प्रार्थी का नाम फकीर खॉ के स्थान पर फिरोज खॉ नाम दर्ज किया जावे पालना रिपोर्ट वास्ते तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी | |